...य उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

12/5/22

तारीख रुजू

...शिवदास बनाम सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] गोपालपुर [illegible]

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| ...22 | वकील अपीलार्थी उप०। की आज यह अपील अपीलार्थी की ओर से श्री सतीश चन्द शर्मा एड० ने पेश किया। मामला रिपोर्ट की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो रेस्पोंडेन्ट को नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| ...22 | वकील अपीलार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 20/7/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते तलबी दिनांक 18/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |
| 18/11/22 | वकील पक्षकार उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रा. भी वास्ते जवाब दिनांक 25/11/22 को पेश हो। तलबी कै - 2, 3 कार्यवाही जवाब पेश [illegible] (हस्ताक्षर) खण्ड अधिकारी कठूमर | |
| 25-11-22 | मुताबिक रीडर नोट/पी.ओ. बाबत [illegible] पत्रावली दिनांक 20-12-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 20-12-22 | मुताबिक रीडर नोट/पी.ओ. बाबत [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्याः– 12/05/2022 दायर दिनांकः– 28/7/2022

जीसीएमएस नं0ः–2022/514 निर्णय दिनांकः– 06.05.2024

वउनवान

1. शिवराम पुत्र श्री पन्नालाल जाति मीना निवासी सलेमपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।

——–—–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. सरंपच ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।
2. संतोष पुत्र पन्ना जाति मीना निवासी सलेमपुर
3. सन्ती पत्नि पन्ना जाति मीना निवासी सलेमपुर
4. मुकलेश पुत्री पन्ना जाति मीना निवासी सलेमपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।

—–—–— रेस्पोडेण्ट्स

**अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 574 ग्राम सलेमपुर**

**आज्ञा दिनांक 08.10.2014 ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर**

उपस्थितः–श्री सतीशचन्द शर्मा अधिवक्ता– अपीलाण्टस

श्री सतेन्द्र चौधरी अधिवक्ता –रेस्सपोडेन्टस 2 व 3

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त तथ्य अपील ... इस प्रकार से हैं कि शिवराम के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी ... सलेमपुर में स्थित है शिवराम के पिता पन्ना के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसकी खातेदारी की आराजी का अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पो0 को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर वो काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। मृतक पिता पन्ना का विरासत इन्तकाल संख्या 574

वाके ग्राम सलेमपुर दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना, बिना अपीलाण्ट के नाम के व पहचान के दस्तावेज लिये ही गैरकानूनी ढंग से व मनमाने तरीके शिवराम के स्थान पर विश्राम दर्ज कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये सुने सही नाम की जांच किये बिना ही इंतकाल पर अंकन सही होना अंकित कर दिया। जिस दोष पूर्ण इंतकाल को ग्राम पंचायत ने बिना अपीलाण्ट को सुने बिना बुलाये मनमाने तरीके से अपीलाण्ट के नाम की सही जांच किये बिना पहचान के दस्तावेज लिये बिना ही शिवराम के स्थान पर विश्राम अंकित कर स्वीकार कर दिया जबकि अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, आदि दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम शिवराम पुत्र पन्ना अंकित है। अपीलाण्ट का नाम विश्राम ना होकर शिवराम है। उक्त इंतकाल दोषपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है उक्त दोषपूर्ण इंतकाल की नकल हेतु तहसीलदार कठूमर के कार्यालय में नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 14.06.2022 को नकल जारी हुई। अपीलाण्ट ने दोषपूर्ण इन्तकाल की नकल के प्राप्त होने की जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील बिना देरी के अदालत श्रीमान में पेश की गई। आदेश दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 22.7.2022 तक देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है, जिसके लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट्स ने पेश किया है।अतः अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व बावजूद तामील दिनांक 06.01.2023 को हाजिर नहीं आये उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने हाजिर अदालत होकर मौखिक जवाब पेश कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो हम रेस्पोडण्टस को कोई उजरदारी नहीं है। अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील के साथ इंतकाल अपील की नकल छाया प्रति एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

A — 06.5.24

आधार कार्ड, पहचान कार्ड की प्रति व शपथ पत्र एवं सरपंच से लिखित वारिसान सजरा रिपोर्ट पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के इकबाल जवाब व इंतकाल की सत्य प्रतिलिपि दोषपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। बहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्टस ने उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल की जानकारी मृतक पन्ना की आराजी हमें इंतकाल एवं वसीयत से प्राप्त हुई तो अपीलाण्ट ने इस बाबत तहसील कठूमर में जाकर जानकारी करके दिनांक 14.06.2022 को नकल जारी होने से अपीलाण्ट को प्राप्त हुई होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

इन्तकाल से प्रभावित आराजी की हाल जमाबन्दी में अपीलाण्ट का नाम विश्राम पुत्र पन्ना दर्ज है। अपीलाण्ट ने अपने पहचान के दस्तावेजात की छाया प्रति राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की है जिसमें अपीलाण्ट का नाम शिवराम पुत्र पन्ना दर्ज है। ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अपीलाण्ट का नाम विश्राम ना होकर शिवराम होना जाहिर किया है। रेस्पो0 ने अपीलाण्ट की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकबाल जवाब पेश किया है। जिसमे राजस्व रेकार्ड में विश्राम के स्थान [illegible] को सहमति दी है तथा इसी तरह ग्राम पंचायत गंज[illegible] आराजी में अपीलाण्ट का नाम विश्राम के स्था[illegible] की सहमति दी है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रावलि व ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर के प्रमाण पत्र के अवलोकन से व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन करने पर अपीलाण्ट का नाम विश्राम पुत्र पन्ना ना होकर शिवराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

आधार कार्ड, पहचान कार्ड की प्रति व शपथ पत्र एवं सरंपच से लिखित वारिसान सजरा रिपोर्ट पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के इकबाल जवाब व इंतकाल की सत्य प्रतिलिपी दोषपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। बहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्टस ने उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल की जानकारी मृतक पन्ना की आराजी हमें इंतकाल एवं वसीयत से प्राप्त हुई तो अपीलाण्ट ने इस बाबत तहसील कठूमर मे जाकर जानकारी करके दिनांक 14.06.2022 को नकल जारी होने से अपीलाण्ट को प्राप्त हुई होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

इन्तकाल से प्रभावित आराजी की हाल जमाबन्दी में अपीलाण्ट का नाम विश्राम पुत्र पन्ना दर्ज है। अपीलाण्ट ने अपने पहचान के दस्तावेजात की छाया प्रति राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की है जिसमें अपीलाण्ट का नाम शिवराम पुत्र पन्ना दर्ज है। ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अपीलाण्ट का नाम विश्राम ना होकर शिवराम होना जाहिर किया है। रेस्पो0 ने अपीलाण्ट की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकबाल जवाब पेश किया है। जिसमे राजस्व रेकार्ड में विश्राम के स्थान पर [illegible] की सहमति दी है तथा इसी तरह ग्राम पंचायत गंजपुर [illegible] प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट का नाम विश्राम के स्थान पर [illegible] की सहमति दी है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर के प्रमाण पत्र के अवलोकन से व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन करने पर अपीलाण्ट का नाम विश्राम पुत्र पन्ना ना होकर शिवराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

पन्ना होना साबित है। इन्तकाल संख्या 574 वाके ग्राम सलेमपुर का फैसल करते समय रेस्पो० द्वारा अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना ही फैसल किया जाना प्रतीत होता है। अतः विवादित इन्तकाल संख्या 574 वाके ग्राम सलेमपुर व आज्ञा दिनांक 08.10.2014 दोष पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 574 ग्राम सलेमपुर आज्ञा दिनांक 10.08.2014 ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट शिवराम के नाम की सही जानकारी प्राप्त कर विधिनुसार पुनः सुनवाई कर नामान्तकरण दर्ज करे। अपील अपीलाण्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested